क्रम संख्या– 13

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी,2005 ई0
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 416 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल नदी घाटी(विकास और प्रबन्ध) विधेयक, 2005 को दिनांक 27 जनवरी,2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराचल अधिनियम संख्या 06 सन 2005 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2005}

उत्तराखण्ड राज्य की भागीरथी नदी घाटी और टिहरी बांध के ऊपरी और निचली ओर तथा इसके जलागम और प्रभावी क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में, नदी घाटी के स्थायी विकास और समुचित प्रबन्ध हेतु

अधिनियम

भारत गणतंत्र के पचपनवें वर्ष में एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड नदी घाटी (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) प्रथमतः यह उत्तराखण्ड के टिहरी और उत्तरकाशी जिलों की भागीरथी नदी घाटी पर लागू होगा और ततपश्चात् राज्य सरकार यदि उपयुक्त और उचित समझे, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध ऐसी अन्य नदी घाटियों पर भी लागू कर सकेगी।

(3) यह अधिनियम, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी तिथि से, जो नियम किया जाय, अधिसूचना द्वारा लागू होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में–

(क) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित नदी घाटी विकास प्राधिकरण से है;

(ख) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड नदी घाटी विकास (विकास और प्रबन्ध) अधिनियम 2005 से है;

(ग) ''भागीरथी नदी घाटी'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड के टिहरी और उत्तरकाशी जनपदों में भागीरथी, भिलंगना तथा उनकी सहायक नदियां जो नदी में नीचे की ओर देवप्रयाग तक तथा नदी में ऊपर की ओर गौमुख तक एवं उनकी द्रोणी (बेसिन) और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आस–पास के ऐसे अन्य क्षेत्र से है;

(घ) ''द्रोणी (बेसिन)'' का तात्पर्य घाटी के संपूर्ण जलागम क्षेत्र से है;

(ङ) ''जलागम क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जिसकी दूरी नदियों के मध्य से 100 मीटर, जिसे 200 मीटर तक बढाया जा सकेगा, नदी में ऊपर और नीचे की ओर उस लम्बाई तक जैसा अवधारण कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जाय;

(च) ''प्रभावित क्षेत्र'' का तात्पर्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित नदी घाटी क्षेत्र से है;

(छ) ''विकास अभिकरण (एंजेंसी)'' का तात्पर्य नदी घाटी के विकास के कार्य में संलग्न किसी शासकीय विभाग या संस्था या अन्य अभिकरण से है;

(ज) ''कार्यकारी समिति'' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन गठित समिति से है;

(झ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है;

(ञ) ''सदस्य'' का तात्पर्य प्राधिकरण का सदस्य, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं से है;

(ट) ''सेक्टर'' का तात्पर्य विकास कार्यों के प्रयोजनार्थ लिये गए भौगोलिक और क्रियाशील क्षेत्रों से है और इनमें सम्मिलित है––

(1) ''भौगोलिक क्षेत्र'' का तात्पर्य वह क्षेत्र है जिसमें नगरपालिका निकाय व जिला पंचायत के क्षेत्र समाविष्ट हो;

(2) ''कार्यशील क्षेत्र'' का तात्पर्य विकास की मद और जिसमें कृषि, सड़क, सेतु, उद्योग, सिंचाई, परिवहन, जलागम, संचार, आवास निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, नौकायन, मछली पालन/पकड़ना और इनसे संबंधित विषय शामिल हैं से है;

(ठ) ''नदी घाटी'' में, नदियों और उनकी सहायक नदियां तथा ऊपरी एवं निचली द्रोणी और ''बांध अथवा जलाशय'' से प्रभावित क्षेत्र एव जलागम क्षेत्र शामिल है।

(ड) ''शब्द तथा अभिव्यक्ति'' जो इस अधिनियम में प्रयोग किये गये है, परन्तु परिभाषित नही किये गये है, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जैसे–उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में दिये गये है।

अध्याय 2

नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना

प्राधिकरण और कार्यपालिका समिति की स्थापना और गठन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति

3. (1) राज्य सरकार अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के उददेश्यों के लिये अधिसूचना द्वारा भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के नाम से स्थापित किया जायेगा, जो कि एक निगमित निकाय होगा।

(2) जब कभी भी आवश्यक होगा, राज्य सरकार दूसरी नदी घाटियों के लिए ऐसे अन्य प्राधिकरणों का गठन भी कर सकेगी या ऐसी नदी घाटियों को विद्यमान नदी घाटी प्राधिकरण के अधीन ला सकेगी।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगा, अर्थात–

(क) राज्य का मुख्यमंत्री –पदेन अध्यक्ष

(ख) नदी घाटी क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति – उपाध्यक्ष

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम छः सदस्य जो नदी घाटी क्षेत्र के विधायक हो

– पदेन सदस्य

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामित जिला पंचायत अध्यक्ष जिसमें नदी घाटी का क्षेत्र आता हो –पदेन सदस्य

(ङ) भारत सरकार के जल संसाधन, वन और पर्यावरण मंत्रालय से विशेष आमंत्रित सदस्य जो उपसचिव/निदेशक पद से अनिम्न हो –सदस्य

(च) योजना आयोग, भारत सरकार का प्रतिनिधि जो निदेशक पद से अनिम्न हो – सदस्य

(छ) राज्य के निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव या सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत, जो ऊपर से अनिम्न हो–

(1) वित्त विभाग ––पदेन सदस्य

(2) नियोजन विभाग –– पदेन सदस्य

(3) लोक निर्माण, सिंचाई और विद्युत विभाग–पदेन सदस्य

(4) विधि विभाग –– पदेन सदस्य

(5) पर्यटन विभाग – पदेन सदस्य

(6) पर्यावरण, वन, ग्रामीण विकास – पदेन सदस्य

(ज) मण्डल के मण्डलायुक्त – पदेन सदस्य

(झ) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी – पदेन सदस्य सचिव

(ट) राज्य सरकार अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित अधिकतम छः सदस्य जो मृदा संरक्षण, भू–विज्ञान, पर्यावरण, विधि, समाजशास्त्री तथा प्रबन्धकीय क्षेत्रों के तकनीकी सलाहकार/संस्थान से होंगे – सदस्य

(4) राज्य सरकार में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सचिव स्तर से अनिम्न का हो को भी राज्य सरकार, सदस्य–सचिव के रूप में नियुक्ति कर सकेगी।

(5) प्राधिकरण अपने सदस्यों की एक कार्यपालिका समिति का गठन कर सकेगी, जिसमें धारा 3 की उपधारा (3) के प्रस्तर (छ) में से वर्णित दो सदस्य, सदस्यों की संख्या छः से अधिक न होगी, जिसकी अध्यक्षता, उपाध्यक्ष करेंगे, जो कि प्राधिकरण के निर्णयों, विभिन्न घोषणा –पत्रों को यथोचित और यथासमय लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे और प्राधिकरण के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखेगे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस कार्यपालिका समिति का सचिव होगा।

(6) प्राधिकरण की बैठक वर्ष में न्यूनतम दो बार होगी यद्यपि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति से जब भी आवश्यक हो, बैठक की जा सकेगी।

(7) कार्यपालिका समिति की बैठक, कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में होगी यद्यपि उपाध्यक्ष ऐसी बैठक कार्यपालिका समिति के सदस्यों की अपेक्षानुसार किसी विशिष्ट उददेश्य के लिये कार्यपालिका समिति की बैठक आहूत कर सकेंगे।

(8) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारणों से अवैध न होगी–

(क) प्राधिकरण के संरचना में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि है; या

(ग) मामले को प्रभावित न करने वाली प्राधिकरण की प्रक्रिया में हुई कोई अनियमितता।

(9) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सदस्यों तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सभी या कोई एक सदस्य को उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार पदच्युत कर सकेगी या ऐसा सदस्य, जो अपने पद पर नही रहना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र, यदि सदस्य है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है तो प्राधिकरण के अध्यक्ष को दे सकेगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य

4. (1) प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इस अधिनियम या इसके अधीन जारी विनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(2) पदेन सदस्य सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, उसकी सहायता हेतु प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी हेगा।

प्राधिकरण के कर्मचारी

5. (1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा विहित किया जाय, प्राधिकरण अपने कार्यो के प्रभावी निष्पादन हेतु जैसा आवश्यक और समीचीन समझा जाय अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, किन्तु ऐसी नियुक्ति करने में भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों का पालन किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा–शर्तें जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय, होगी।

तकनीकी सलाहकार/संस्था

6. (1) कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु प्राधिकरण, पर्यावरण प्रबंध, भू–विज्ञान, पारिस्थितिकी योजना, एकीकृत ऊर्जा, नियोजन, समाजिक विज्ञान, वन–पारिस्थितिकी और विधि तथा अन्य क्षेत्रों से तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) तकनीकी सलाहकारों/संस्थाओं की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों तथा उनकी नियुक्ति संबंन्धी शर्ते व मानदेय कार्यपालिका समिति द्वारा अवधारित की जायेगी।

बैठक

7. (1) प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलायी जाएगी और प्राधिकरण का कार्य बैठक में कार्यसूची के अनुसार निस्तारित किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष किसी कार्य को सदस्यों के मध्य कार्यसूची परिचालन के माध्यम से देने के निर्देश न दे दें परन्तु बैठक के समय अध्यक्ष किसी अन्य मामले को कार्यसूची में सम्मिलित करने का निर्देश दे सकेंगे।

(2) प्राधिकरण की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथि, समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी यद्यपि अध्यक्ष या कार्यपालिका समिति के निर्देशानुसार किसी भी समय बैठक बुला सकेंगे।

(3) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा दोनो की अनुपस्थिति में सदस्यों की सहमति से निर्वाचित सदस्य करेगा।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित चार सदस्यों तथा खण्ड (ङ) से (ट) में उल्लिखित तीन सदस्यों सहित सात सदस्यों से अन्यून कोई कार्य निस्तारित नही किया जा सकेगा, परन्तु गणपूर्ति के अभाव में आगामी बैठक को स्थगित करने हेतु गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) बैठक में उठाये गए सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा किया जायेगा और समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत, बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का होगा।

(6) प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष, सामान्यतया मार्च माह में आयोजित की जाएगी, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्राधिकरण के वार्षिक बजट पर चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

प्राधिकरण के कार्य

8. प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(क) द्रोणी के समग्र और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु विकास योजनाओं के निर्माण और अनुपालन का निरीक्षण करना विकास योजना में जल संसाधन, भू–प्रयोग और कृर्षि का विकास, क्षेत्र–विकास और संबंधित विषय शामिल होंगे।

(ख) द्रोणी में क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी के पुनरोद्धार सहित, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने हेतु प्रभावी और यथासमय कार्रवाई सुनिश्चित करना;

(ग) घाटी में वृक्षारोपण करना और ऐसे पौधों की प्रजातियां लगाना, जिनसे स्थानीय निवासियों को पर्याप्त चारा प्राप्त हो तथा ऐसी प्रजातियां लगाना जो नदी घाटी में मृदा–अपरदन को रोकने में लाभदायक हों साथ ही स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वस्थ एवं जीवनोपयोगी वातावरण उपलब्ध कराना;

(घ) घाटी में वनस्पति उद्यानों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना जिससे उस क्षेत्र की वनस्पतियां और जन्तु संरक्षित और सुरक्षित रहे;

(ङ) जल–गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना और रख–रखाव करना तथा विभिन्न ग्रामीण पुनर्वास केन्द्रों पर सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध करना;

(च) जलागम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कोष्ठ/आपात समूहों व आपदा कोष की स्थापना और रख–रखाव करना;

(छ) नदी घाटी में समुचित स्थानों पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना और रख–रखाव करना।

प्राधिकरण की शक्तियां

9. (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बने विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों, जैसी आवश्यक और आनुषंगिक हो, अपने कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसी शक्तियों में निम्न शक्तियां सम्मिलित होगी–

(क) विकास अधिकरण (एजेंसी) द्वारा चलाई जा रही विकास योजना के बारे में सूचना प्राप्त करना;

(ख) प्राधिकरण की महायोजना में उल्लिखित किसी विकास की योजना को अनुमोदित या निरस्त करना तथा ऐसे महायोजना को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व नदी घाटी के जलागम क्षेत्र में अन्य अभिकरणों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो का धारा 11 की उपधारा (3) से (5) के अनुसार विनियमन करना;

(ग) प्राधिकरण द्वारा किसी भी क्षेत्र के लिये निर्धारित नीतियों के अनुपालन हेतु संबंधित अन्य विकास एजेंसियों को निर्देश देना;

(घ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने हेतु केंन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी संगठन या किसी अन्य एजेंसी से सहायता लेना;

(ङ) अपने उददे्श्यों की पूर्ति करने हेतु अपने सदस्यों की उप समितियां गठित करना;

(च) प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को अपने कार्य का प्रत्यायोजन करना।

(3) प्राधिकरण के पूर्व अनुमति के बिना महायोजना में उल्लिखित कोई भी प्राथमिक या अन्य कार्य या किसी विकास योजना को आरम्भ नहीं किया जाएगा।

(4) महायोजना में कोई भी परिवर्तन, प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जाएगा।

(5) प्राधिकरण को उसके कार्यों और नीतियों को लागू करने मे ंराज्य की परिषदों सहित सभी संबंधित विभाग, अपने प्रमुखों के माध्यम से, उसके साथ समन्वय करेंगे और प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति द्वारा अपनी शर्तों और इच्छित तथा भुगतान के आधार पर सरकार के किसी विभाग की सेवाओं की मांग करना वैध होगा।

(6) प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन जिसे वह यथासमय कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक एवं उचित समझे, कार्यपालिका समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी।

अध्याय–3

विकास के लिए महायोजना और क्षेत्रीय योजना

महायोजना की तैयारी

10. (1) प्राधिकरण पूर्व में किये गये भौगोलिक क्षेत्र विकास योजना निर्धारण करने के पश्चात् यथाशीघ्र नदी घाटी के समग्र स्थायी विकास हेतु एक महायोजना की तैयारी करेगा या करवाएगा।

(2) महायोजना होगी–

(क) द्रोणी (बेसिन) की वहन क्षमता परिनिश्चित करना;

(ख) ऐसे विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) को परिनिश्चित करेगा जिसमें विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जानी है और प्रत्येक क्षेत्र के विकास के तरीकों और उन चरणों का भी उल्लेख करना जिनमें ऐसी विकास योजनाएं चलाई जाएंगी;

(ग) द्रोणी के विकास हेतु वैकल्पिक योजनाओं सहित विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना;

(घ) विभिन्न उपयोगों एवं प्रयोजनों हेतु भूमि का सीमांकन करना;

(ङ) उस मूलभूत पद्धति, जिसकी सीमा में विकास योजनाएं तैयार की जायेगी, के मूल स्वरूप का कार्य करना।

(3) महायोजना नदी घाटी के सतत् विकास हेतु जैसा आवश्यक रूप से अवधारित किया जाय, ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था करना।

नदी घाटी क्षेत्र में विकास के विनियम हेतु क्षेत्रीय योजना (सेक्टोरल प्लान) तैयार करना

11. (1) धारा 10 के अधीन महायोजना की तैयारी के उपरान्त यथाशीघ्र विकास एजेंसियां, महायोजना के अनुसार कार्यशील क्षेत्रवार विकास हेतु योजना तैयार करने के लिये अग्रसर रहेगी।

(2) राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित सन्नियमों की पुष्टि के उपरान्त अपधारा (1) के अधीन सेक्टर हेतु योजना तैयार की जायेगी।

(3) प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् उस क्षेंत्र में जिसके लिये ऐसे प्राधिकरण का गठन हुआ हो, किसी भी व्यक्ति या संस्था जिसमें राज्य के विभाग या प्राधिकारी भी सम्मिलित होगें तथा लोक या निजी क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा भूमि के विकास सम्बन्धी कार्यों को न तो किया जायेगा और न ही करवाया जायेगा या जारी रखा जायेगा, जब तक कि ऐसे विकास हेतु प्राधिकरण से लिखित रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति न प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) ऐसे किसी क्षेत्र में किसी भी योजना के प्रभावी होने के पश्चात भू–विकास सम्बन्धी कार्यो की न तो जिम्मेदारी ली जायेगी तथा न ही किये जायेगें या जारी रखे जायेंगे, जब तक कि ऐसे विकास कार्य, लागू योजना के अनुरूप न हो।

(5) उपधारा (1) व (2) में किसी अन्य बात के होते हुये भी, निगमित निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी विभाग या व्यक्ति द्वारा उन क्षेत्रों के भूमि के विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे–

(क) जब ऐसा कोई विभाग या स्थानीय प्राधिकारी किसी भूमि के विकास का आशय रखता है तो वह कार्यपालिका समिति को ऐसे विकास के आशय से पूर्ण विवरण, जिसमें ऐसी योजना व उसके अभिलेख सहित, लिखित सूचना देकर, ऐसे विकास कार्य की जिम्मेदारी लिये जाने से न्यूनतम 90 दिवसों से पूर्व दी जायेगी;

(ख) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के मामले में यदि कार्यपालिका समिति को कोई आपति है तो वह खण्ड (क) के अधीन विभाग के द्वारा दिये गये आशय की प्राप्ति के 6 सप्ताह के अन्दर सूचना देगा तथा यदि कार्यपालिका समिति से कोई आपति उक्त समयावधि में प्राप्त नहीं होती है तो विभाग प्रस्तावित विकास करने हेतु स्वतंत्र होगा;

(ग) जहां कार्यपालिका समिति द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य या अन्य आधार पर कोई आपति व्यक्त की जाती है कि इस आधार पर, ऐसा विकास कार्य इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गयी या प्रस्तावित महायोजना या क्षेत्रीय योजना के अनुरूप नही है, तो ऐसा विभाग या स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो–

(एक) या तो कार्यपालिका समिति द्वारा व्यक्त की गयी आपत्ति के क्रम में विकास के प्रस्तावों पर आवश्यक उपांतरण करेगा या

(दो) खण्ड (घ) के अन्तर्गत कार्यपालिका समिति द्वारा व्यक्त की गई आपतियों के साथ विकास के प्रस्ताव को प्राधिकरण के समक्ष विनिश्चय होने हेतु प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्राधिकरण, विकास के प्रस्तावों व कार्यपालिका समिति की आपति की प्राप्तियों पर, एक साथ या तो प्रस्तावों पर अनुमोदन देगा या उपांतरण के साथ या उपातंरण के बिना विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को जैसी भी स्थिति हो, ऐसे उपांतरण किये जाने हेतु जैसा कि वह विचार कर उचित समझे, निर्देश देगा तथा प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय–4

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

प्राधिकरण की निधि

12. (1) प्राधिकरण के पास अपनी निधि होगी और वह अपने निधि और प्राप्तियों तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान या किसी अन्य रूप में प्राप्त धन, जो इसमें जमा होगा, का लेखा–जोख रखेगा और उसी से समस्त भुगतान करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(3) प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु किये गये व्यय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

(4) भागीरथी नदी घाटी के रख–रखाव और विकास हेतु किसी अन्य प्राधिकरण, विभाग, निगम या सरकार के पास स्थित सारा धन, इस प्राधिकरण की निधि में जमा कर दिया जाएगा आगे यह प्रावधान होगा कि राज्य सरकार, टिहरी बांध या अन्य संस्था या निगम जो उसी घाटी में विद्युत का उत्पादन कर रही हो या करेगी या ऐसे प्रदेश के अन्य नदी घाटियों में कार्यरत अन्य निगम, जो उसी तरह के कार्यक्षेत्र में लगे हो, से विद्युत भाग का प्राप्त या प्राप्य धन का 20 प्रतिशत या उसके समतुल्य धन का भुगतान प्राधिकरण को करेगी।

खाता खोलना, बजट और वार्षिक सामान्य बैठक

13– (1) प्राधिकरण की निधि, प्राधिकरण या कार्यपालिका समिति के निर्णयानुसार, किसी राष्ट्रीकृत बैंक या अन्य लब्ध बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, में खाता खोलकर जमा की जाएगी और उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी या इस हेतु प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण, यथावश्यक स्थलों पर यथावश्यक संख्या में प्राधिकरण के खाते खोल सकता है।

(3) प्राधिकरण यथानिर्धारित रूप में और यथासमय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय दर्शाते हुए बजट तैयार करेगा और प्रतिवर्ष 15 फरवरी से पूर्व इसकी एक प्रति, प्राधिकरण की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा।

लेखा और लेखा–परीक्षा

14. (1) प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्राधिकरण के लेखा और अन्य संबंधित अभिलेखों का लेखा–जोखा रखेगा और प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक विवरण तैयार कर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

		(2) प्राधिकरण के वार्षिक लेखा की लेखापरीक्षा, अनुभवी चार्टटेड एकाउंटेंट या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त समान पदधारक व्यक्ति द्वारा की जायेगी। (3) प्राधिकरण के संपरीक्षित लेखा को प्रतिवर्ष या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किसी पूर्व तिथि को प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।
वार्षिक प्रतिवेदन	**15.**	प्राधिकरण, वर्ष के दौरान संपन्न, अपनी गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार को तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में और तिथि से पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।
		अध्याय–5 **प्राधिकरण की अन्य शक्तियां**
प्रवेश की शक्ति	**16.**	प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, प्राधिकरण का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकता है और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग या कार्य–निष्पादन हेतु कोई भी विधिसम्मत कार्य या सर्वेक्षण, खोज और पूर्वेक्षण, प्रारंभिक या अनुषांगिक रूप से कर सकता है।
निर्देश जारी करने की शक्ति	**17.**	राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, प्राधिकरण को, समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन में आवश्यक और समीचीन निर्देश जारी कर सकतीं हैं और ऐसे निर्देशों का पालन करना प्राधिकरण का कर्तव्य होगा।
विनियम बनाने की शक्ति	**18.**	(1) प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो। (2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्न विषयों में विनियम बना सकेगा–– (क) प्राधिकरण या इसकी समितियों के कार्य–संचालन की प्रक्रिया; (ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा–शर्तें, कार्य और दायित्व; (ग) प्राधिकरण की समितियों के संरचना, शक्तियां, कर्तव्य और कार्य; (घ) तकनीकी विशेषज्ञों की शक्तियां और कार्य; (ङ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए, अधिनियम के उददे्श्यों की पूर्ति हेतु प्रावधान बनाने या बनाए जा सकते है।
प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां	**19.**	प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन सभी या कोई कार्य करने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से, या सामान्य अथवा विशेष रूप से प्रदत्त अधिकार के अनुक्रम में किसी भी स्रोत से ऋण के रूप में, बंध पत्र (बांड), डिबेंचर जारी कर, धन उधार ले सकेगा।
प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय की स्थापना	**20.**	प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय, टिहरी जिले की नदी घाटी में यथोचित स्थान पर खोला जायेगा और आवश्यकतानुसार बाद में अन्य स्थान या स्थानों पर इसके शाखा कार्यालय खोल सकेगा।

		अध्याय–6 **कतिपय गतिविधियों का संरक्षण और प्रतिषेध**
नदी घाटी क्षेत्र में वृहद विकास और निर्माण कार्यों, खनन गतिविधियों हेतु अनुमति लेने की अपेक्षा	21.	(1) नदी घाटी में कोई वृहद् निर्माण या विकास कार्य जिससे महायोजना (मास्टर प्लान) या क्षेत्रीय योजना का उल्लघंन होता हेा, नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई व्यक्ति या निकाय इस धारा की उपधारा (1) से भिन्न कोई विकास की अपेक्षा रखता हो तो वह प्राधिकरण को सम्पूर्ण योजना के साथ लिखित रूप से सूचित करेगा तथा यदि प्राधिकरण द्वारा उक्त आवेदन के 60 दिवसों के अन्दर कोई आपत्ति नही की जाती है तो अनापत्ति दी गयी, मानी जायेगी। (2) नदी घाटी के जलागम क्षेत्र तथा जलाशय या बांध के निकट, लोक–हित के कार्यो यथा–सेतुओं के निर्माण, बाढ़ की रोकथाम, मृदा अपरदन का नियंत्रण, परियोजनाओं के निर्माण आदि या अनुषांगिक कार्यों के अतिरिक्त किसी निर्माण या विकास की अनुमति नहीं हेागी, जिससे महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लघंन होता हो। (3) बिना प्राधिकरण की अनुमति से, नदी घाटी के जलभरण क्षेत्र में कोई वाणिज्यक खनन गतिविधि नही की जायेगी परन्तु नदी घाटी जलभरण क्षेत्र में स्थित नदी के किनारों या बांध के किनारों में किसी भी प्रकार के खनन की अनुमति नही होगी, जिससे भूक्षरण हो सकता हेा। **स्पष्टीकरण**–– (अ) इस धारा में, वृहद विकास या निर्माण गतिविधि, महायोजना या क्षेत्रीय योजना में निहित क्षेत्र में वह गतिविधि, जिसमें 3 फीट या अधिक गहराई तक मिट्टी की खुदाई की आवश्यकता हो या दो मंजिल में 75 वर्ग मीटर तक कुर्सीक्षेत्र से अधिक किया गया निर्माण हो, से अभिप्रेत है : परन्तु निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी–– (एक) मवेशी आश्रय के रूप में प्रयोग किया जाने वाला अस्थायी ढांचा या फूस का मकान (छप्पर) या; (दो) छोटी पनचक्की की स्थापना या; (तीन) पहले से विद्यमान मकानों की धारा 21 की उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तों और उसके स्पष्टीकरण के अध्यधीन विस्तार या; (चार) विद्यमान मकानों, कृषियोग्य खेतों की सुरक्षा या सड़कों और पगडंडियों के रख–रखाव हेतु पुश्तों या सीमा दीवाल का निर्माण या; (पांच) क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय किया गया आपात्कालीन निर्माण : परन्तु यह और कि कार्यपालिका समिति या उसके द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत अधिकारी यह देखेगा कि उपर्युक्त निर्माण कार्य से पारिस्थितिकीय सन्तुलन प्रभावित न हो। (ब) स्थानीय निवासी अपने घरेलू उपयोग हेतु नदी घाटी से उपखनिजों को बिना प्राधिकरण की अनुमति से ले सकेंगे यदि ऐसा उत्खनन इस धारा की उपधारा (3) के अन्तर्गत न आता हो परन्तु इसमें अन्य तत्समय प्रचलित अधिनियमों या नियमों का उन्हे पालन करना होगा।
अध्यारोही प्रभाव	**22**.	(1) इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत, नदी घाटी क्षेत्र पर लागू किसी अन्य अधिनियम में निहित प्रावधान या सरकार द्वारा बनाए गये नियम या विनियम, जो इस अधिनियम के असंगत हैं, लागू नहीं होंगे।

		(2) किसी अन्य अधिनियम, विधि, रीति या संविदा में कुछ असंगत होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान, प्रभावी होंगे। (3) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त ये प्रावधान, किसी अन्य अधिनियम के अतिरिक्त होंगे, उन्हें अल्पीकृत नहीं किया जा सकेगा।
		अध्याय–7 **अपराध और दंड आदि**
अपराध	**23.**	(1) कोई व्यक्ति या निदेशक, जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कार्यों या कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रति उत्तरदायी था या जो धारा 10 और 11 में उल्लिखित महायोजना या क्षेत्रीय योजना का उल्लघंन कर भूमि पर बड़ा विकास कार्य करवाता है या करता है या इस अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन करता है वह 20 हजार रूपये तक के अर्थदंड का भागी होगा और अपराध जारी रहने की स्थिति में अधिक अर्थदंड, जो अपराध जारी रहने तक प्रतिदिन एक हजार रूपये तक के अर्थदंड अथवा किये गये निर्माण की निर्धारित दर से तीन गुना राशि जो भी अधिक हो, का भागी होगा परन्तु यह और कि यदि कोई वस्तु अपराधी से जब्त की जाती है तो प्राधिकरण के पक्ष में समपहृित कर ली जायेगी। (2) कोई व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने में आधा डालता है या ऐसे व्यक्ति को प्रवेश के उपरांत उत्पीड़ित करता है, वह 6 माह तक के कारावास या एक हजार रूपये तक अर्थदंड या दानों दंड का भागी होगा। (3) जो कोई भी––– (क) जो भी जमीन में गड़े किसी खंभे, स्तंभ या खूंटे या किसी सूचना या अन्य सामग्री, जो प्राधिकरण के निर्देश पर लगाई गई हो, को नष्ट करता है, उखाड़ता है, तोड़ता है या उनकी आकृति बिगाडत्रता है या; (ख) प्राधिकरण के किसी कार्य, संपत्ति को हानि पहुंचाता हैं या; (ग) प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को प्राधिकरण या इस अधिनियम में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा वांछित सूचना देने में विफल रहता है या; (घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुमति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु किसी विषय में झूठी सूचना देता है या किसी प्रकार नदी घाटी को प्रदूषित करता है या अधिनियम के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन करता है, वह एक महीने तक के कारावास या पांच हजार रूपये तक के अर्थदंड या दोंनों का भागी होगा। स्पष्टीकरण––इस धारा में निदेशक फर्म का आशय फर्म के भागीदार से है।
न्यायालय की अधिकारिता	**24.**	प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा।
अपराधों का संज्ञान	**25.**	प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित शिकायत के बिना कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अभियोजन की मंजूरी	**26.**	प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का न हो की पूर्व–अनुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन नहीं चलाया जा सकेगा।
वसूल किए गए अर्थदंड का भुगतान प्राधिकरण को किया जाना	**27.**	इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संबंधी सभी वसूल किए गए अर्थदंड प्राधिकरण को भुगतान कर, उसकी निधि में जमा कर दिये जायेंगे।
अपराधों का शमन	**28.**	(1) इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध, कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् प्राधिकरण या इसके द्वारा इस हेतु सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों पर या शमन–फीस के भुगतान की शर्त पर शमनीय हो सकेगा। (2) जब अपराध का शमन हो चुका हो और अपराधी अभिरक्षा में है तो उसे उन्मोचित कर दिया जायेगा और शमनीय अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
		अध्याय–8 **अनुपूरक और प्रकीर्ण उपबन्ध**
इस अधिनियम के तहत् रचित आदेशों की अंतिमता	**29.**	(1) प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निश्चित विषय से संबंधित कोई पारित आदेश या लिया गया निर्णय, इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण के अध्यधीन, अंतिम होगा। (2) ऐसे किसी आदेश या निर्णय पर किसी विधिक न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
पुनरीक्षण	**30.**	(1) कोई भी व्यक्ति या निकाय जो प्राधिकरण के आदेश से व्यथित हो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष पुनरीक्षण का प्रस्ताव कर सकेगा या उस पर सीधा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझे। (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि उसे अपने प्रस्तुतीकरण का उचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो। (3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार को इसकी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रत्येक आवेदन, आवेदनकर्ता को संबंधित आवेदन संबंधी संप्रेषित आदेश, निर्णय या निर्देश के दो माह के अन्दर, दिया जाना होगा तथा ऐसे प्रार्थना–पत्र का निस्तारण जहां तक सम्भव हो सके तीन माह में कर लिया जायेगा।
उपकर और शुल्क लगाना	**31.**	(1) किसी अन्य विधि के होते हुए और संसद द्वारा खनिज विकास संबंधी विधि द्वारा किसी प्रतिबंध के होते हुए भी प्राधिकरण, नदी घाटी में खनिज अधिकारों हेतु उपकर लगा सकेगा। (2) इस धारा के अधीन लगाया गया कोई उपकर, राज्य सरकार की पुष्टि के अध्याधीन होगा, और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसी तिथि से अधिरोपित किया जा सकेगा जो नियत की जाय। (3) इस अधिनियम की धारा 21 में उल्लिखित गतिविधियों की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने हेतु, या अन्य गतिविधियों के लिये प्राधिकरण विनिर्धारित शुल्क ले सकेगा।

सदस्य और अन्य अधिकारी लोक सेवक होगा	**32.**	प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
सद्भावपूर्ण कार्यवाही का संरक्षण	**33.**	प्राधिकरण या किसी सदस्य या किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनारए गए विनियमों के अनुपालन में की गई या की जाने वाली सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
निरसन और व्यावृत्तियां	**34.**	उत्तर प्रदेश भागीरथी नदी घाटी अधिनियम, 1999 (1999 का उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 14) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ऐसे निरसन के होते हुए, निरसित अधिनियम के अधीन, किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा की गई कोई बात, की गई कोई कार्यवाही, जारी अधिसूचना, पारित आदेश, लिया गया निर्णय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकरण या अधिकारी द्वारा, जारी किए गए, पारित या किये गए माने जायंगे और तद्नुसार प्रभावी होंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन संशोधित, निरस्त या अतिष्ठित नहीं कर दिए जाते हैं निरसित अधिनियम या अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र के लिये गठित समतुल्य प्राधिकरण या परिषद जिसमें यह अधिनियम लागू होता हो के अधीन कोई अर्जित सम्पत्ति या प्राप्त धन, इस अधिनियम के अर्न्तगत प्राधिकरण में अन्तरित समझा जाएगा।